सत्यमेव जयते

भारत सरकार
और
मैडागास्कर सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

भारत सरकार और मैडागास्कर सरकार जिन्हें एतत्पश्चात् "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्ष हैं,

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ नागर विमानन के क्षेत्र में अपने परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने तथा एक करार करने के इच्छुक हैं,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद-1
परिभाषा

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न की गई हो:-

(क) "वैमानिकी प्राधिकारियों" पद का अभिप्राय, भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा मैडागास्कर के मामले में नागर विमानन के लिए उत्तरदायी मंत्री अथवा दोनों मामलों में, कोई व्यक्ति अथवा निकाय जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

(ख) "अभिसमय" पद का अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 94 और 90 के अंतर्गत अभिसमय अथवा अनुबंधों में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है जहां तक वे अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों

के लिए प्रभावी हो गए हों,

(ग) "नामित विमानकंपनी" पद का अभिप्राय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत कर दिया गया हो,

(घ) किसी राज्य के संबंध में "राज्यक्षेत्र" पद का अभिप्राय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है,

(ङ) "विमान सेवा", "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमानकंपनी" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों का अभिप्राय वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किया गया है,

(च) "यह करार" पद में इसका अनुबंध और उसमें अथवा इस करार में किया गया संशोधन भी शामिल है,

(छ) "प्रयोक्त प्रभार" पद का अभिप्राय उस प्रभार से है जो विमानों उनके कर्मीदलों, यात्रियों तथा कार्गो हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा सुविधाओं सहित विमानपत्तन परिसम्पत्ति अथवा सुविधाएं अथवा विमान दिक्चालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने विमानकंपनियों पर लगाया हो अथवा लगाने की अनुमति दी हो।

अनुच्छेद-2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध में दी गई अनुसूची के उपयुक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। एतत्पश्चात्, इन सेवाओं और मार्गों को क्रमशः "सहमत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें जिन्हें वह आवश्यक समझे, लगाने का अधिकार है:-

(क) किसी भी मामले में जहां वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उस संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, अथवा

(ख) इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतया लागू किए जाने वाले कानूनों और/अथवा विनियमों का अनुपालन करने में उस विमानकंपनी के विफल रहने की स्थिति में, अथवा

(ग) यदि विमानकंपनी इस करार के अंतर्गत विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा विफल रहती हो।

2. जब तक कानूनों और/अथवा विनियमों अथवा इस करार के उपबंधों का और आगे अतिलंघन रोकने के लिए प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण अथवा निलंबन अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित शर्तों का तत्काल लगाया जाना आवश्यक न हो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग इस करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके ही किया जाएगा।

अनुच्छेद-5
प्रयोक्ता प्रभार

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी पर समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली अपनी विमानकंपनियों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों से अधिक प्रयोक्ता प्रभार नहीं लगाएगा अथवा लगाने की अनुमति देगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने प्रभार वसूलने वाले सक्षम प्राधिकारियों और इन प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग करने वाली विमानकंपनियों के बीच प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में विचार-विमर्श को बढ़ावा देगा और जहां व्यवहार्य हो, ऐसा उन विमानकंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए ऐसे प्रयोक्ताओं को यथोचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि

परिवर्तन किए जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद-6
सीमा-शुल्क और कार्यविधि

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रचालित विमानों और ऐसे विमानों में पहले से रखे, बीच में लिये गये अथवा चढ़ाए गए उनके नियमित उस्कर, ईंधन तथा स्नेहकों की आपूर्तियों और विमान भण्डार के साथ जो सर्वथा ऐसे विमान के अथवा विमान में प्रयोग के लिए आशयित हैं, सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और ऐसे ही अन्य प्रभारों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली उसकी अपनी विमानकंपनियों को अथवा सर्वाधिक समर्थन प्राप्त राष्ट्र की विमानकंपनियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल न हो।

2. इसी प्रकार का व्यवहार किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर प्रयुक्त विमानों के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए ले जाए गए अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी किया जाएगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क अथवा ऐसे ही प्रभारों से तब तक छूट या माफी नहीं देगा जब तक कि दूसरा संविदाकारी पक्ष पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को ऐसे प्रभारों से छूट या माफी नहीं दे देता।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखे गये नियमित वैमानिक उपस्कर और सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस राज्यक्षेत्र के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§, §2§ और §4§ में उल्लिखित सामग्री को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की देख-रेख अथवा नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद-7
प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को परस्परता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधि तथा वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति होगी।

2. नामित विमानकंपनी की मर्जी पर, स्टाफ संबंधी ये आवश्यकताएं इसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संगठन, कंपनी या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रही और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत विमानकंपनी की सेवाओं को प्रयोग करके, पूरी की जा सकती हैं।

3. ये प्रतिनिधि और स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष के लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे तथा ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप ऐसा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ में उल्लिखित प्रतिनिधियों और स्टाफ को परस्परता के आधार पर तथा न्यूनतम विलम्ब से आवश्यक कार्य-परमिट, नियोजन वीजा या ऐसे ही अन्य कागजात प्रदान करेगा।

4. परस्परता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को अपने राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेक पर अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से विमान परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित विमानकंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को स्थानीय मुद्रा में या किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-8
कानूनों की प्रयोज्यता

1. अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में रत विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान को अथवा उसके राज्यक्षेत्र के अंदर ऐसे विमानों के प्रचालन तथा दिक्चालन को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों पर लागू होंगे।

2. यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश, मुकाम और वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य एवं संगरोध से संबंधित कानून और विनियम, उनके उक्त राज्यक्षेत्र में रहते समय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक पर लागू होंगे।

3. दोनों मे से कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा-शुल्क, आव्रजन, संगरोध तथा ऐसे ही विनियमों के अनुप्रयोग के सबंध में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत दूसरे संविदाकारी पक्ष की किसी नामित विमानकंपनी की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमानकंपनी को तरजीह नहीं देगा।

4. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सीधे पारगमन वाले यात्री अत्यधिक सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कार्गो, सीमा-शुल्क और इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त होगा।

अनुच्छेद-9
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमानकंपनी द्वारा उस सम्पूर्ण मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं पर अनावश्यक रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3. नामित विमानकंपनियों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता का दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्री जनता की विमान परिवहन सम्बन्धी अनुमानित आवश्यकताओं के साथ निकट का सम्बन्ध होगा ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा प्रचालित सेवाओं की आवृत्ति और उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता पर सहमति पहले संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच होगी और यह संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित करानी होगी ।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और/अथवा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता में कोई भी वृद्धि मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और वह दोनों देशों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति की शर्त के अधीन होगी। इस प्रकार की सहमति अथवा समझौता होने तक पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति पात्रताओं का निर्वाह किया जाता रहेगा ।

अनुच्छेद-10
प्रचालन सूचना उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह सेवा के प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार और उड़ान समयावलियों से संबंधित सूचना सहमत सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम साठ (60) दिन पूर्व उनके विचार और अनुमोदन हेतु उनके पास भिजवाएं। जब कभी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो तब भी इस प्रकार की सूचना कम से कम तीस(30) दिन पहले दी जाएगी।

2. नामित विमानकंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसी कोई अन्य सूचना भी देगा जो उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपेक्षित हो कि इस करार की अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद-11
आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी

नामित विमानकंपनियों से भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिए जाएंगे किन्तु जिस मास से ये संबंधित हैं उसके अनुवर्ती 30 दिनों से अधिक विलंब से नहीं।

2• अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक "आयटा" सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातयात के वास्तविक उद्‌गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित विमानकंपनी से भिजवाएंगे।

अनुच्छेद-12
टैरिफ

1• निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" पद का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं। उक्त कीमतों में एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतें और शर्तें शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें नहीं हैं।

2• एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र तक अथवा वहां से वहन के लिए वसूल किये जाने वाले टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किये जायेंगे जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमानकंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जायेगा।

3• यदि संभव हो तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित टैरिफों का निर्धारण दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच सहमति से किया जाएगा और जब कभी संभव हो, ऐसी सहमति अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए की जाएगी।

4• इस प्रकार सहमत टैरिफ, उन्हें लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे (90) दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाएंगे। यह अवधि, विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की

जा सकती है।

5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाये। यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§ के अनुसार, प्रस्तुत किए जाने के तीस §30§ दिन के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की हो तो उन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा। पैराग्राफ §3§ में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की अवधि, जिसके भीतर इसे अवश्य अधिसूचित किया जाए, तीस §30§ दिन से कम होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§ के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं हो सकती है या यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §5§ के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ §3§ के प्रावधानों के अनुसार, सहमत टैरिफ पर अपनी अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§ के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा पैराग्राफ §5§ के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते तो इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह §12§ महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद-13
उपार्जन का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को प्रथम संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में व्यय से अधिक अर्जित आय को अपने प्रधान कार्यालय भेजने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार का धन-प्रेषण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा विनियमों अनुसार किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा, जिसके राज्यक्षेत्र में यह राजस्व अर्जित किया गया हो।

2• ऐसे हस्तांतरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनियम दर के आधार पर किए जाएंगे अथवा जहां सरकारी विनियम दरें नहीं हों वहां मुद्रा भुगतान को प्रचलित विदेशी मुद्रा की बाजार दर पर किये जाएंगे।

3• यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटारे को शासित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं प्रभावी हैं तो इस अनुच्छेद के पैरा (1) के अधीन निधियों के हस्तांतरण के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के उपबंध लागू किये जायेंगे।

अनुच्छेद-14

विमानन सुरक्षा

1• अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधिविरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधिविरूद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा संबंधी विधिविरूद्ध कार्य दमन संलेख (प्रोटोकॉल) के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2• अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के विधिविरूद्ध अभिग्रहण संबंधी कृत्यों और ऐसे विमान उनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3• दोनों पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक ये अनुबंध इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा अपने राज्यक्षेत्र के हवाई अड्डों प्रचालकों से यह अपेक्षा

करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले तथा लादने के दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु उचित विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या ऐसे किसी विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त और सुरक्षापूर्वक समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा, जैसे कि वह व्यवहार्य समझे, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है, भूमि पर रोका जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए इसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो। जहां भी व्यवहार्य होगा, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किये जायेंगे।

अनुच्छेद-15
परामर्श तथा संशोधन

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार के कार्यान्वयन, निर्वचन, अनुप्रयोग अथवा संशोधन के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य हो सकता है, तथा जो चर्चा अथवा पत्राचार द्वारा किया जा सकता है, अन्य संविदाकारी पक्ष को लिखित अनुरोध प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर शुरू कर दिया जाएगा।

2. परामर्शों के परिणामस्वरूप सहमत इस करार में कोई भी आशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा उनकी पुष्टि कर दिये जाने के बाद प्रभावी होगा।

3. तथापि, अनुबंध में उल्लिखित मार्गों के संबंध में आशोधन, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष सहमति द्वारा किये जा सकते हैं और ये उनके द्वारा नियत तारीख को प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद-16
विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर बातचीत करके इसे निपटाने का प्रयास करेगे। ऐसा न होने की स्थिति में विवाद निपटान हेतु संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद-17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. जिस हद तक अभिसमय के उपबंध इस करार के अंतर्गत स्थापित विमान सेवाओं के लिए प्रयोज्य हैं, वे इस करार की अवधि के लिए संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान रूप में इस तरह प्रभावी रहेंगे जैसेकि वे इस करार के अभिन्न अंग हों वे तब तक प्रभावी रहेगें जब तक दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किए गए किसी संशोधन का अनुसमर्थन नहीं कर देते जो विधिवत् लागू हो गए हों ऐसे मामले में यथा संशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के लिए लागू होगा ।

2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रभाव में आता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अभिभावी होंगे ।

अनुच्छेद-18
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस

करार को समाप्त करने हेतु अपनी इच्छा के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो ऐसे मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह (12) महीने के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले सहमति से वापस न ले लिया गया हो। दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती की सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिन बाद उक्त नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-19
प्रवर्तन में आना

यह करार हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के कारण इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

मैं दिनांक को हिन्दी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन से संबंधित कोई मतभेद होने के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रकृत्त होगा ।

कृते भारत सरकार

(A. HEURIA)
Ambassador of India
ANTANANARIVO

कृते मैडागास्कर सरकार

RASOLONAY Charles Angelo